रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8, 2014/फाल्गुन 17, 1935
No. 115] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8, 2014/PHALGUNA 17, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

सा.का.नि. 164(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें)नियम, 2003 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"3. वेतन-अध्यक्ष को चार लाख पचास हजार रुपये समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा और वे आवास और यान से संबंधित भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह घोषणा की जाती है कि भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचना जारी करने पर किसी व्यक्ति का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा ।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी/सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 784 (अ) तारीख 6 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई

1. सा.का.नि.सं 136(अ) तारीख 27 फरवरी, 2009;
2. सा.का.नि.सं 613(अ) तारीख 28 अगस्त, 2009; और
3. सा.का.नि.सं 854(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2011

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

G.S.R. 164(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 14, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely : -

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2013.

2. In the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, for rule 3, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2013, namely : -

"3. Pay. - The Chairperson shall be paid a consolidated monthly salary of four lakh fifty thousand rupees and every Member shall be paid a consolidated monthly salary of three lakh seventy five thousand rupees and they shall not be entitled to any allowance relating to house and vehicle."

Explanatory Memorandum: It is hereby declared that by issuing the notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.

[F. No. 5/5/2003-IGC/CS]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.784 (E), dated the 6th October, 2003 and subsequently amended *vide*: —

1. G.S.R. 136 (E), dated the 27th February, 2009;

2. G.S.R. 613 (E), dated the 28th August, 2009; and

3. G.S.R. 854 (E), dated the 01 st December, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.